

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा म०प्र०

//वाहन नीलाम विज्ञप्ति//

क्रमांक ४७/तीन-९-१/२००७

छिंदवाड़ा, दिनांक ०७/०९/२०२२

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा के आधिपत्य के अनुपयोगी शासकीय वाहन (टाटा इंडिगो जी० एल० एक्स०) क्रमांक एम० पी०-०२/ए० व्ही० २४७१ को (जहां है, जैसी स्थिति में है) को निष्प्रयोजित राशि १,३०,०००/- रुपये में दिनांक ११-अक्टूबर-२०२२ को प्रातः ११:०० बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

उक्त नीलामी में "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा" के नाम से देय राशि ३५००/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, भाग लिया जा सकता है। उपरोक्तनुसार वाहन की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

-:निविदा की शर्तें:-

१- शासकीय वाहन (टाटा इंडिगो जी० एल० एक्स०) क्रमांक एम० पी०-०२/ए० व्ही० २४७१ की न्यूनतम ऑफसेट वेल्यू रुपये १,३०,०००/- (शासकीय बोली) नियत है।

२- उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहनों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रुपये में ३५००/- (रुपये तीन हजार पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट "प्रधान जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा" के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

३- अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गयी पूरी राशि जमा करवाने के पश्चात् लौटाया जावेगा।

- 4- सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/ निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा "नीलाम समिति" कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाडा को प्राप्त होगा ।
- 5- नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा ।
- 6- अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा ।
- 7- अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा" के नाम देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी ।
- 8- संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर छिंदवाड़ा में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में सम्पर्क किया जा सकता है ।
- 9- बोलीकर्ताओ द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है ऐसा माना जावेगा ।
- 10- अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय परिसर, छिंदवाडा से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा ।
- 11- अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी

क्रेता की होगी ।

12- वाहन क्रमांक, चैचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे । इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी ।

13- उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

  
(प्रभारी अधिकारी नजारत)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
छिंदवाड़ा

प्रतिलिपि:-

- ✓(1) जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय म० प्र० जबलपुर के पोर्टल टेंडर पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।
- (2) जनसंपर्क संचालनालय भोपाल की ओर नीलामी इशतेहार प्रसारण हेतु प्रेषित।
- (3) जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु ।
- (4) कार्यालय कलेक्टर छिंदवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु ।
- (5) बार एसोशिएशन छिंदवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु ।
- (6) बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं स्थानीय बाजार में चस्पा पर चस्पा किये जाने हेतु

  
(प्रभारी अधिकारी नजारत)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
छिंदवाड़ा